

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
मुनि माया राम मार्ग, पीतमपुरा, दिल्ली
(समन्वय शाखा)

फा0सं0 5(23)/2011/भाषा/समन्वय शाखा/प्र0त0शि0/830-835 दिनांक 04/10/2019
सेवा में,

1. सभी शाखा प्रमुख (मुख्यालय एवं बी.टी.ई.)
2. सभी प्रधानाचार्य (पोलिटेक्निक/आई.टी.आई.)

विषय:- "दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000" के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय में उप सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र फा0सं0.08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/1741-1791/दिनांक 19.08.2019 की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है।

इस संबंध में सभी सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि उपरोक्त पत्र संख्या में दिए गए उपबंधों के अनुसार अपने कार्यालय कार्य हिन्दी में करने के लिए यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें एवं "दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000" को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। जिसकी प्रति विभागीय वेबसाइट www.tte.delhigov.nic.in पर अपलोड की जा रही है।

भवदीय,

(राजीव कुमार)

अनुभाग अधिकारी(समन्वय शाखा)

फा0सं0 5(23)/2011/भाषा/समन्वय शाखा/प्र0त0शि0/830-835 दिनांक 04/10/2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ अग्रसारित :-

1. निजी सचिव, प्रधान सचिव (प्र.त.शि.वि.)
2. निजी सचिव, निदेशक (प्र.त.शि.वि.)
3. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्र.त.शि.वि.)
4. व्यवस्था विश्लेषक, कम्प्यूटर शाखा (प्र.त.शि.वि.) मुख्यालय, को इस प्रार्थना के साथ संलग्न पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने को कष्ट करें।

अनुभाग अधिकारी(समन्वय शाखा)

DIRECTOR (TTE)
Diary No. 3431
Dated 13.9.19

Date of Recd. & Recd. No.
Diary No. 1073
13 SEP 2019
Muni Maya Ram Man
Punam Pura, Near T.V. T
Distt-110088

Diary No. 202
Date 13/9/19

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

www.artandculture.delhigovt.nic.in

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/1741-1791
सेवा में,

दिनांक: 19/8/19

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, स्थानीय निकाय,
स्वायत्त संस्थाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

विषय: "दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000" के कार्यान्वयन के संबंध में।
महोदय/महोदया,

जैसाकि विदित है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने "दिल्ली राजभाषा अधिनियम-2000" के अन्तर्गत उर्दू एवं पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। अतः अनुरोध है कि दिल्ली सरकार के सभी विभाग/कार्यालय निम्नलिखित अनुसार "दिल्ली राजभाषा अधिनियम-2000" को क्रियान्वित करें।

- (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा उर्दू या पंजाबी में आवेदन पत्र अथवा याचिकाएं प्राप्त करना और उनका उत्तर देना।
- (ख) महत्वपूर्ण सरकारी नियम, विनियम और राजपत्र अधिसूचनाओं के उर्दू और पंजाबी अनुवाद का भी प्रकाशन।
- (ग) सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालयों तथा सड़कों आदि के नामपट्ट उर्दू तथा पंजाबी में भी लिखा जाना।
- (घ) उर्दू तथा पंजाबी के समाचार-पत्रों में महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का भी प्रकाशन।
- (ङ) जहां कहीं आवश्यक हो विधानसभा की कार्यवाही उर्दू और पंजाबी में भी अभिलेखबद्ध की जाएगी तथा उर्दू एवं पंजाबी में भी साथ-साथ जारी की जाएगी।

उर्दू एवं पंजाबी भाषा संबंधी सहायता प्राप्त करने के लिए इस विभाग के दूरभाष संख्या 23392001-6 (इन्टरकॉम 3715) से संपर्क किया जा सकता है। अधिनियम की प्रति इस विभाग की वेबसाइट www.artandculture.delhigovt.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।
कृपया इसे प्राथमिकता दें।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/1792-1795
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

1. सचिव, उपराज्यपाल दिल्ली, राजनिवास सचिवालय, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, उप-मुख्यमंत्री, दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दिनांक: 19/8/19

(संजय जैन)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

347/GDN
23/9/19

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली. सचिवालय, नई दिल्ली।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/ 1923-1953

दिनांक: 19/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

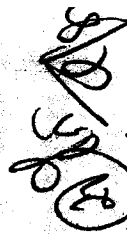
विषय: राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में कार्य सुनिश्चित करने का अनुरोध।

महोदय/महोदया,

इस सरकार तथा इसके स्थानीय निकायों/उपक्रमों में राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर दिल्ली की प्रथम राजभाषा में कार्य सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध किया जाता रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार के अधिकतर विभागों के अधिकतर अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुरूप कार्य करने के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि दिल्ली सरकार के प्रति अपने वैधानिक दायित्व का निर्वाह करते हुए सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार अपने कार्यालय कार्य हिन्दी में करने के लिये यथोचित निदेश देने का कष्ट करें। ताकि इस सरकार की भाषा नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

भवदीय



(संजय जैन)
उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

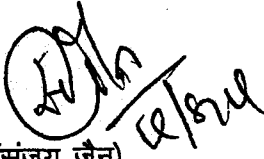
फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/ 1954-1967

दिनांक: 19/8/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली।

6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने के अनुरोध सहित ।
8. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।
9. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली-92.
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद् के प्रत्येक बड़े विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने के अनुरोध सहित ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने के अनुरोध सहित ।
12. महाप्रबंधक(प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने के अनुरोध सहित ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवालान, नई दिल्ली को प्रत्येक बड़े विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने के अनुरोध सहित ।
14. उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।


(संजय जैन)
उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सातवां तल,
सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।

फा.सं: 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/ 209/- 2/41

दिनांक: 19/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर हिन्दी में सुनिश्चित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये समय-समय पर दिल्ली सरकार के विभागों/कार्यालयों तथा इसके अन्तर्गत आने वाले स्थानीय निकायों के जनसूचना अधिकारियों के पास गणमान्य नागरिकों तथा अग्रणी संस्थाओं द्वारा हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्राप्त होते रहते हैं।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में पत्र आदि का उत्तर, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हो, किसी भी राज्य सरकार, व्यक्ति या केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से प्राप्त हो, उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए। राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार दिल्ली सरकार के अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण भी हैं और इसके आधार पर उनसे आशा की जाती है कि सूचना के अधिकार, 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित पत्र के उत्तर हिन्दी में प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत करें ताकि आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपेक्षित जानकारी हिन्दी में उपलब्ध हो सके।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने जनसूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी तथा सूचना के अधिकार, 2005 संबंधी कार्य देख रहे सभी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को अनुपालन हेतु आवश्यक निदेश देने का कष्ट करें।

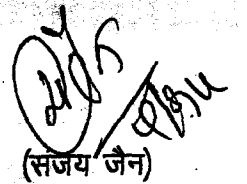
भवदीय
(सजय जैन)
उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/ 2142-2/54

दिनांक: 19/8/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ ।
8. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिंटो रोड, नई दिल्ली ।
9. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 449, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली-92.
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ । ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ । ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवाला, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु ।



(संजय जैन)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सातवां तल,
सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/2023-2073

दिनांक: 19/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय : हिन्दी के प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने के संबंध में।

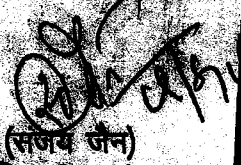
महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में देखने का कष्ट करें। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 दिनांक 26.1.2004 से लागू किया जा चुका है जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये समस्त विभागों का दायित्व और भी बढ़ जाता है।

आपकी जानकारी में यह भी लाया जा रहा है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केन्द्रीय राजभाषा नियम 5 के अनुसार हिन्दी में ही दिया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त के अलावा यदि दिल्ली की जनता किसी विभाग से उर्दू या पंजाबी में पत्र व्यवहार करती है तो दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 की धारा 4 (क) के अनुसार उर्दू का उत्तर संबंधित भाषा में ही दिया जाना है और इसके कार्यान्वयन के लिये किसी प्रकार की कठिनाई हेतु इस विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त व्यवस्था के बारे में अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय



(सजय जैन)

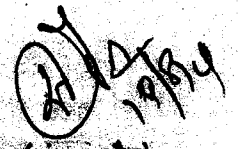
उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फोन: 23392307

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/2023-2073
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना के अन्तर्गत -

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास बार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक न्यायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ।

8. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली।
9. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली-92.
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद् के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ।
12. महापौर (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जेन को अनुपालनार्थ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवालान, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु।
14. श्री हरपाल सिंह राणा, अध्यक्ष, दिल्ली विकास समिति, ए-1 गॉव और डाकघर, कादी पुर, दिल्ली-36.
15. संबंधित कर्मचारी को वेबसाइट पर उपलोड करने हेतु।
16. गार्ड फाईल।


(संजय जैन)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/1796-1846

दिनांक: 19/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी परिसर, दिल्ली।

विषय: दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध।

महोदय/महोदया,

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के विभागों तथा उनसे जुड़े उपक्रमों/निकायों/संस्थानों में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियमावली, 1976 एवं दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2003 के नियमों तथा इनके अन्तर्गत जारी आदेशों/निदेशों के उपबंधों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में कार्य न किए जाने संबंधी गणमान्य व्यक्तियों/सामान्य व्यक्तियों/कर्मचारियों से बार-बार पत्र प्राप्त होते रहते हैं और यह विभाग उन पत्रों का संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं पाता है। इस सरकार की दिनांक 14.01.2004 की अधिसूचना सं0 7 (9)/97-भाषा के अनुसार हिन्दी को दिल्ली की राजभाषा पहले ही घोषित किया जा चुका है परन्तु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किसी भी विभाग में अपेक्षित प्रतिशत कार्य राजभाषा में नहीं हो रहा है, जो विभागों की हिन्दी के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

जबकि दिल्ली सरकार के अधिकतर अर्थात् 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी/अधिकारी हिन्दी में प्रवीण हैं और लगभग सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान भी रखते हैं। यह विभाग हिन्दी में प्रवीण अधिकारियों/कर्मचारियों से टिप्पण, प्रारूपण इत्यादि के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग करने की आशा करता है जबकि वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां तक कि हिन्दी में लिखे गए अथवा हस्ताक्षरित पत्रों तक का उत्तर भी जनसाधारण, गणमान्य व्यक्तियों, कर्मचारियों, स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं आदि को अंग्रेजी में दिया जाता है। इस संबंध में राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 एवं नियम 7 (1) (2) एवं 7 (3) में स्पष्ट उल्लेख है जिसके उद्घरण अनुषंगान्तः हेतु निम्न प्रकार हैं :-

नियम 5 के अनुसार, नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में पत्रादि के उत्तर हिन्दी में दिये जायेंगे।

आवेदन, अभ्यावेदन आदि :- 7. (1) कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिनका कर्मचारी पर तामिल किया जाना

अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के सभी उपबंधों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यथोचित निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजय जैन)

(संजय जैन)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दूरभाष सं०: 23392307

दिनांक: 19/8/19

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/1847-1856

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :-

1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 31 उत्तरी परिसर नार्थ, राम कृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली-01.
3. सचिव सभी भाषा अकादमियां एवं साहित्य कला परिषद, डॉ० गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्, करोल बाग, दिल्ली/नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. मुख्य मंत्री महोदया के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
6. सभी मंत्रियों के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
8. अध्यक्ष, नागरी लिपि परिषद्, राजघाट, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
9. सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास सरस्वती बाल मंदिर, नारायणा विहार, नई दिल्ली-28 को सूचनार्थ।
10. सलाहकार (जनकल्याण), मुख्यमंत्री कार्यालय, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

(संजय जैन)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,

सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/2155-2205

दिनांक: 19/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी, दिल्ली।

विषय: नामपट्ट सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरे मैनुयल प्रक्रिया संबंधी साहित्य, निमंत्रण पत्र, बैज, इशतहार, होर्डिंग, प्रवेश पत्र, पहचान-पत्र, यातायात संकेतों, यातायात संबंधी दिशा-निर्देशों, प्रपत्रों, परिपत्रों, भाषणों, स्मृति चिन्हों, लोगो, फाइल कवरों, बैनरों, लेखन सामग्री में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करवाने संबंधी।

महोदय,

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 5.12.2007, 30.7.09, 4.1.2010, 30.4.2010, 26.7.2010, 14.01.2011 एवं 03.5.2011 को जारी परिपत्रों की ओर आकर्षित किया जाता है। इस विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 6.5.1996 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/2/96-रा0भा0 एवं दिनांक 24.5.1994 के कार्यालय ज्ञापन सं0 1/14013/8/94-रा0भा0ए0 -1 में भी इस विषय में स्पष्टतः उल्लेख हैं, लेकिन इस के बावजूद भी दिल्ली सरकार के कुछ विभाग/कार्यालय तथा उनके अधीन स्वायत्त निकाय/उपक्रम निष्ठापूर्वक इनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं करवा रहे हैं। जो कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के उपबंधों का पूर्णतः उल्लंघन है। अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि आप व्यक्तिगत रुचि लेकर विभाग के केयर टेकिंग से जुड़े कर्मचारियों/अधिकारियों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय
(सजय जैन)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/2206 -2215

दिनांक: 19/8/19

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110 001 नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 28 जुलाई, 2011 के अं0शा0 सं0 यू0 16012/27/2010-दिल्ली-1 के संदर्भ में।
3. सचिव सभी भाषा अकादमियां एवं साहित्य कला परिषद, डॉ0 गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्, करोल बाग, दिल्ली/नई दिल्ली।
4. मुख्य मंत्री महोदया के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
5. सभी मंत्रियों के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. भागीदारी कक्ष, मुख्य मंत्री कार्यालय, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को भागीदारी आयोजित करने वाले विभागों से अनुपालन कराने के अनुरोध सहित।
8. अध्यक्ष, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 31 उत्तरी परिसर नार्थ, राम कृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली-01.
9. अध्यक्ष, नागरी लिपि परिषद, राजघाट, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
10. सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, सरस्वती बाल मंदिर, नारायणा विहार, नई दिल्ली-28 को सूचनार्थ प्रेषित।

(सजय जैन)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/1968-20/8

दिनांक: 19/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग संदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली-92.
4. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. प्रबंध निदेशक, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली।
6. उप-सचिव, दिल्ली विधानसभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54.
7. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
8. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी परिसर, दिल्ली।

विषय: सरकार भवनों, कार्यालयों तथा सड़कों के नामपट्ट हिन्दी के साथ-साथ उर्दू तथा पंजाबी भाषा में लिखने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस विभाग के दिनांक 17.03.2004 के संमसंख्यक पत्र और दिनांक 25.4.2004 के अनुस्मारक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनमें दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में पंजाबी व उर्दू भाषा के प्रयोग की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करने तथा राजभाषा अधिनियम के अनुसार सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालयों के समस्त नामपट्ट हिन्दी के साथ-साथ उर्दू तथा पंजाबी में लिखवाने का अनुरोध किया गया था।

आपसे पुनः अनुरोध है कि दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000 में पंजाबी और उर्दू भाषा के लिये किय गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समस्त सरकारी कार्यालयों, सरकारी भवनों के नाम पट्ट हिन्दी के साथ-साथ उर्दू तथा पंजाबी में लिखवाएं जायें। इस संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई के लिये इस विभाग के अलावा सचिव, पंजाबी अकादमी, फोन संख्या 23616243, 23616265 तथा 23615979 और सचिव, उर्दू अकादमी का फोन संख्या 23830635-9 से भी संपर्क किया जा सकता है।

भुवदीप

(संजय जैन)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/2019-2022

दिनांक: 19/8/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. सचिव, उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, उपमुख्यमंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

(संजय जैन)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(07)/2019-2020-क0सं0 एवं भाषा/ 2321

दिनांक: 28/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. समस्त स्थानीय निकायों के विभागाध्यक्षों को।

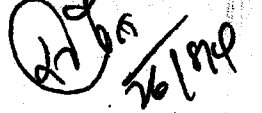
विषय: हिन्दी की तिमाही रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में देखने का कष्ट करें। सूचित किया जाता है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के आदेशानुसार प्रत्येक विभाग द्वारा अपने विभाग से संबंधित मार्च, जून, सितम्बर तथा दिसम्बर माह को समाप्त होने वाली तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से इस विभाग को इसके साथ संलग्न प्रफार्मे में भिजवाई जानी अपेक्षित है।

आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित हिन्दी की प्रगति की तिमाही रिपोर्ट इसके साथ संलग्न प्रपत्र में तुरन्त इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय



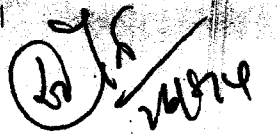
(संजय जैन)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.सं. 08(07)/2019-2020-क0सं0 एवं भाषा/ 2322 — 2326
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 28/8/19

1. सचिव, उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
3. सचिव माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, पांचवा तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. दिल्ली सचिवालय के समस्त विभाग।



(संजय जैन)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दूरभाष संख्या: 011-23392001-6

एक्सटेंशन: 3715

**दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ विभागों में हिन्दी की प्रगति से
संबंधित तिमाही रिपोर्ट का प्रपत्र**

1.	विभाग का नाम	
2.	दिनांक.....को समाप्त होने वाली तिमाही	
3.	कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर)	
4.	कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान है	
5.	उन कर्मचारियों के नाम जिन्हें कार्य साधक ज्ञान नहीं है (अलग से सूची संलग्न करें) (कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा कृपया अंत में देखें)	
6.	(1) कुल अवर श्रेणी लिपिकों की संख्या (2) उनमें से हिन्दी टाइप जानने वालों की संख्या (3) हिन्दी टाइप न जानने वालों के नाम (सूची संलग्न करें)	
7.	(1) हिन्दी आशुलिपिक जानने वालों की संख्या (2) अंग्रेजी आशुलिपिकों की संख्या (सूची संलग्न करें)	
8.	(1) तीन महीने में जारी किये गये कुल पत्रों की संख्या (2) हिन्दी में जारी किये गये पत्रों की संख्या (3) अंग्रेजी में जारी किये गये पत्रों की संख्या (4) जो पत्र अंग्रेजी में जारी हुये, उन्हें हिन्दी में जारी न करने का कारण बतायें ।	
9.	जो अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में टिप्पण नहीं लिखते हैं, उसका कारण बतायें ।	
10.	(1) कुल कम्प्यूटरों की संख्या (2) क्या सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी साफ्टवेयर लगाया गया है ? यदि नहीं तो कारण बतायें ।	

11.	(1) क्या आपके विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है ? (2) यदि गठित नहीं की गई है तो कारण बतायें ? (3) राजभाषा समिति की बैठकें किस किस तिथि को हुई ?	
12.	(1) विभाग में प्रयोग किये जाने वाले फार्मों की संख्या (2) केवल हिन्दी में मुद्रित फार्मों की संख्या (3) केवल अंग्रेजी में मुद्रित फार्मों की संख्या (इन अंग्रेजी फार्मों को कब तक द्विभाषी करवा लिया जायेगा) (4) द्विभाषीय फार्मों की संख्या	
13.	(1) भाषा विभाग द्वारा आयोजित की गई कार्यशालाओं में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया । (2) इनमें कितने अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपना कार्य हिन्दी में करना आरंभ कर दिया है ।	
14.	जो कर्मचारी/अधिकारी शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में काम कर रहे हैं, उनके नाम बतायें ।	

कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा:— यदि किसी कर्मचारी ने

- (1) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या ऊपर की परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या
- (2) केन्द्रीय सरकार के हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पदों के संबंध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या
- (3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या
- (4) वह राजभाषा नियम के संलग्न प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर